

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

मांग संख्या 81

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2016-2017 | | | बजट 2017-2018 | | | संशोधित 2017-2018 | | | बजट 2018-2019 | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| कुल | 18885.51 | 75866.59 | 94752.10 | 19903.48 | 100465.66 | 120369.14 | 18807.94 | 99682.20 | 118490.14 | 23153.10 | 118180.50 | 141333.60 |
| वसूलियां | -7846.07 | -34673.57 | -42519.64 | -9180.31 | -46288.83 | -55469.14 | -8672.04 | -48818.10 | -57490.14 | -11593.35 | -58740.25 | -70333.60 |
| प्राप्तियां | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| निवल | 11039.44 | 41193.02 | 52232.46 | 10723.17 | 54176.83 | 64900.00 | 10135.90 | 50864.10 | 61000.00 | 11559.75 | 59440.25 | 71000.00 |
| क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है: | | | | | | | | | | | | |
| केंद्र का व्यय | | | | | | | | | | | | |
| केन्द्र का स्थापना व्यय | | | | | | | | | | | | |
| 1. सचिवालय | 100.04 | ... | 100.04 | 128.92 | ... | 128.92 | 119.92 | ... | 119.92 | 126.80 | ... | 126.80 |
| केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं | | | | | | | | | | | | |
| भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण | | | | | | | | | | | | |
| 2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण | | | | | | | | | | | | |
| 2.01 एनएचएआइ में निवेश | ... | 14910.46 | 14910.46 | ... | 23891.59 | 23891.59 | ... | 23891.59 | 23891.59 | ... | 29663.13 | 29663.13 |
| 2.02 केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरण | ... | ... | ... | ... | 15429.45 | 15429.45 | ... | 15429.45 | 15429.45 | ... | 20093.00 | 20093.00 |
| 2.03 सीआरएफ से किया गया एनएचएआइ-निवेश | ... | -7410.46 | -7410.46 | ... | -15429.45 | -15429.45 | ... | -15429.45 | -15429.45 | ... | -20093.00 | -20093.00 |
| 2.04 स्थायी पुल शुल्क निधि में अंतरण | ... | 7500.00 | 7500.00 | ... | 8462.14 | 8462.14 | ... | 8462.14 | 8462.14 | ... | 9570.13 | 9570.13 |
| 2.05 पीबीएफएफ से किया गया एनएचएआइ-निवेश | ... | -7500.00 | -7500.00 | ... | -8462.14 | -8462.14 | ... | -8462.14 | -8462.14 | ... | -9570.13 | -9570.13 |
| निवल | ... | 7500.00 | 7500.00 | ... | 23891.59 | 23891.59 | ... | 23891.59 | 23891.59 | ... | 29663.13 | 29663.13 |
| सड़क एवं पुल | | | | | | | | | | | | |
| 3. सड़क निर्माण कार्य | | | | | | | | | | | | |
| 3.01 सड़क स्कंध के अंतर्गत कार्य | ... | 19697.55 | 19697.55 | ... | 22464.57 | 22464.57 | ... | 19116.31 | 19116.31 | ... | 21453.42 | 21453.42 |
| 3.02 कार्यक्रम घटक | ... | 819.76 | 819.76 | ... | 725.00 | 725.00 | ... | 613.00 | 613.00 | ... | 460.00 | 460.00 |
| 3.03 ईएपी घटक | ... | 289.12 | 289.12 | ... | 500.00 | 500.00 | ... | 1213.00 | 1213.00 | ... | 740.00 | 740.00 |
| 3.04 केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) से वित्तपोषित राज्यीय स्कीमें | 5025.63 | ... | 5025.63 | 7162.00 | ... | 7162.00 | 6666.13 | ... | 6666.13 | 7891.00 | ... | 7891.00 |
| 3.05 सीआरएफ से वित्तपोषित संघ-राज्य क्षेत्रीय स्कीमें | 38.34 | ... | 38.34 | 105.66 | ... | 105.66 | 98.35 | ... | 98.35 | 116.42 | ... | 116.42 |
| 3.06 अंतर-राज्यीय एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान-सीआरएफ से वित्तपोषित स्कीमें | 746.34 | ... | 746.34 | ... | 815.67 | 815.67 | ... | 759.20 | 759.20 | ... | 898.70 | 898.70 |

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2016-2017 | | | बजट 2017-2018 | | | संशोधित 2017-2018 | | | बजट 2018-2019 | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| 3.07 विकास, आयोजना, गुणवत्ता आश्वासन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण-सीआरएफ से वित्तपोषित स्कीमें | 16.80 | ... | 16.80 | 83.41 | ... | 83.41 | 78.32 | ... | 78.32 | 90.88 | ... | 90.88 |
| 3.08 राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण- सीआरएफ से वित्तपोषित | 2038.65 | ... | 2038.65 | 1829.24 | ... | 1829.24 | 1829.24 | ... | 1829.24 | 3020.69 | ... | 3020.69 |
| 3.09 राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण-जीबीएस | 652.13 | ... | 652.13 | 1141.08 | ... | 1141.08 | 1141.08 | ... | 1141.08 | ... | ... | ... |
| 3.10 पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम | ... | 4464.72 | 4464.72 | ... | 5765.00 | 5765.00 | ... | 5265.00 | 5265.00 | ... | 6210.00 | 6210.00 |
| 3.11 सीआरएफ को अंतरण | 10104.40 | 28104.60 | 38209.00 | 9180.31 | 22297.00 | 31477.31 | 8672.04 | 19561.51 | 28233.55 | 11118.99 | 22802.12 | 33921.11 |
| 3.12 सीआरएफ से पूरा किया गया | -7846.01 | -19689.33 | -27535.34 | -9180.31 | -22297.00 | -31477.31 | -8672.04 | -19561.51 | -28233.55 | -11118.99 | -22802.12 | -33921.11 |
| 3.13 राष्ट्रीय निवेश निधि में हस्तांतरण | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5265.00 | 5265.00 | ... | 6210.00 | 6210.00 |
| 3.14 राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरा किया गया | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -5265.00 | -5265.00 | ... | -6210.00 | -6210.00 |
| <i>निवल</i> | <i>10776.28</i> | <i>33686.42</i> | <i>44462.70</i> | <i>10321.39</i> | <i>30270.24</i> | <i>40591.63</i> | <i>9813.12</i> | <i>26966.51</i> | <i>36779.63</i> | <i>11118.99</i> | <i>29762.12</i> | <i>40881.11</i> |
| 4. पीबीएफएफ से वित्तपोषित कार्य | | | | | | | | | | | | |
| 4.01 चुंगी पुलों का रख-रखाव | 44.04 | 72.29 | 116.33 | 37.86 | 100.00 | 137.86 | 37.86 | 100.00 | 137.86 | ... | 50.00 | 50.00 |
| 4.02 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13.96 | ... | 13.96 |
| 4.03 पीबीएफएफ से पूरा किया गया | ... | -72.29 | -72.29 | ... | -100.00 | -100.00 | ... | -100.00 | -100.00 | ... | -50.00 | -50.00 |
| <i>निवल</i> | <i>44.04</i> | <i>...</i> | <i>44.04</i> | <i>37.86</i> | <i>...</i> | <i>37.86</i> | <i>37.86</i> | <i>...</i> | <i>37.86</i> | <i>13.96</i> | <i>...</i> | <i>13.96</i> |
| जोड़-सड़क एवं पुल | 10820.32 | 33686.42 | 44506.74 | 10359.25 | 30270.24 | 40629.49 | 9850.98 | 26966.51 | 36817.49 | 11132.95 | 29762.12 | 40895.07 |
| सड़क परिवहन एवं सुरक्षा | | | | | | | | | | | | |
| 5. अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं अध्ययन | 119.14 | 8.09 | 127.23 | 235.00 | 15.00 | 250.00 | 165.00 | 6.00 | 171.00 | ... | ... | ... |
| 6. अनुसंधान, प्रशिक्षण और अध्ययन और अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएं | | | | | | | | | | | | |
| 6.01 सीआरएफ से वित्तपोषित योजनाएं | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 300.00 | 15.00 | 315.00 |
| 6.02 सीआरएफ को अंतरण | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 300.00 | 15.00 | 315.00 |
| 6.03 सीआरएफ से पूरा किया गया | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -300.00 | -15.00 | -315.00 |
| <i>निवल</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>300.00</i> | <i>15.00</i> | <i>315.00</i> |
| 7. महिला सुरक्षा पर योजना | | | | | | | | | | | | |
| 7.01 सार्वजनिक सड़क परिवहन पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजना | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 174.36 | ... | 174.36 |
| 7.02 निर्भया फंड से वित्तपोषित | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -174.36 | ... | -174.36 |
| <i>निवल</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> | <i>...</i> |
| जोड़-सड़क परिवहन एवं सुरक्षा | 119.14 | 8.09 | 127.23 | 235.00 | 15.00 | 250.00 | 165.00 | 6.00 | 171.00 | 300.00 | 15.00 | 315.00 |
| 8. वास्तव में वसूली गई-राशियां | -0.06 | -1.49 | -1.55 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं | 10939.40 | 41193.02 | 52132.42 | 10594.25 | 54176.83 | 64771.08 | 10015.98 | 50864.10 | 60880.08 | 11432.95 | 59440.25 | 70873.20 |
| कुल जोड़ | 11039.44 | 41193.02 | 52232.46 | 10723.17 | 54176.83 | 64900.00 | 10135.90 | 50864.10 | 61000.00 | 11559.75 | 59440.25 | 71000.00 |

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2016-2017 | | | बजट 2017-2018 | | | संशोधित 2017-2018 | | | बजट 2018-2019 | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| ख. योजना परिव्यय | | | | | | | | | | | | |
| आर्थिक सेवाएं | | | | | | | | | | | | |
| 1. सड़क और पुल | 10820.32 | ... | 10820.32 | 3121.47 | ... | 3121.47 | 3114.31 | ... | 3114.31 | 3158.45 | ... | 3158.45 |
| 2. सड़क परिवहन | 119.09 | ... | 119.09 | 235.00 | ... | 235.00 | 165.00 | ... | 165.00 | 300.00 | ... | 300.00 |
| 3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं | 100.03 | ... | 100.03 | 128.92 | ... | 128.92 | 119.92 | ... | 119.92 | 126.80 | ... | 126.80 |
| 4. सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय | ... | 41184.93 | 41184.93 | ... | 48396.83 | 48396.83 | ... | 45593.10 | 45593.10 | ... | 53215.25 | 53215.25 |
| 5. सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय | ... | 8.09 | 8.09 | ... | 15.00 | 15.00 | ... | 6.00 | 6.00 | ... | 15.00 | 15.00 |
| जोड़-आर्थिक सेवाएं | 11039.44 | 41193.02 | 52232.46 | 3485.39 | 48411.83 | 51897.22 | 3399.23 | 45599.10 | 48998.33 | 3585.25 | 53230.25 | 56815.50 |
| अन्य | | | | | | | | | | | | |
| 6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | ... | ... | ... | 7162.00 | ... | 7162.00 | 6666.13 | ... | 6666.13 | 7891.00 | ... | 7891.00 |
| 7. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान | ... | ... | ... | 75.78 | ... | 75.78 | 70.54 | ... | 70.54 | 83.50 | ... | 83.50 |
| 8. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय | ... | ... | ... | ... | 5765.00 | 5765.00 | ... | 5265.00 | 5265.00 | ... | 6210.00 | 6210.00 |
| जोड़-अन्य | ... | ... | ... | 7237.78 | 5765.00 | 13002.78 | 6736.67 | 5265.00 | 12001.67 | 7974.50 | 6210.00 | 14184.50 |
| कुल जोड़ | 11039.44 | 41193.02 | 52232.46 | 10723.17 | 54176.83 | 64900.00 | 10135.90 | 50864.10 | 61000.00 | 11559.75 | 59440.25 | 71000.00 |

(₹ करोड़)

| | बजट सहायता | | | बजट सहायता | | | बजट सहायता | | | बजट सहायता | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | जोड़ | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | जोड़ | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | जोड़ | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | जोड़ |
| ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश | | | | | | | | | | | | |
| अन्वेषण और उत्पादन | | | | | | | | | | | | |
| 1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण | 14910.46 | 33117.74 | 48028.20 | 23891.59 | 59279.00 | 83170.59 | 23891.59 | 59279.00 | 83170.59 | 29663.13 | 62000.00 | 91663.13 |
| जोड़-अन्वेषण और उत्पादन | 14910.46 | 33117.74 | 48028.20 | 23891.59 | 59279.00 | 83170.59 | 23891.59 | 59279.00 | 83170.59 | 29663.13 | 62000.00 | 91663.13 |
| जोड़ | 14910.46 | 33117.74 | 48028.20 | 23891.59 | 59279.00 | 83170.59 | 23891.59 | 59279.00 | 83170.59 | 29663.13 | 62000.00 | 91663.13 |

- 3.01. **सड़क निर्माण कार्य:** यह प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर व्यय के लिए है, जिसमें एक्सप्रेसवे से संबंधित परियोजनाएं और स्वर्णिम चतुर्भुज के भीड़-भाड़ वाले हिस्सों के 6 लेन और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) के तहत राजमार्गों के 2 लेन बनाने के विशेष कार्यक्रम शामिल हैं। नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क का विकास, विजयवाड़ा-रांची रोड का विकास और अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) द्वारा एजेंसी कार्यों के आधार पर राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसमें वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क के विकास से संबंधित आदिवासी घटक के प्रावधान भी शामिल हैं, एनई राज्यों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि में एनएच काम करता है।
- सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय पर व्यय करने के लिए है।
 - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण:** इस प्रावधान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के निष्पादन के लिए प्रदत्त निवेश शामिल है। इस व्यय को सीआरएफ और पीबीएफएफ से वहन किया जाता है।

3.02. **कार्यक्रम घटक:** यह प्रावधान सड़क स्कंध के अंतर्गत बाह्य-सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सड़क निधि से वित्त-पोषित हेतु किया गया है।

3.03. **सड़क निर्माण कार्य:** इस प्रावधान में सड़क स्कंध के अंतर्गत बाह्य-सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए विदेशी ऋण शामिल हैं।

3.04. **सड़क निर्माण कार्य:** यह प्रावधान विभिन्न राज्यों में सड़क संबंधी कार्यों की अनुमोदित स्कीमों के वित्त-पोषण हेतु है। इन निधियों को केंद्रीय सड़क निधि से राज्यों के लिए निर्मुक्त किया जाता है। यह राज्य योजना का एक भाग है। तथापि, इन परियोजनाओं का प्रशासनिक रूप से अनुमोदन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तकनीकी अनुमोदन एवं वित्तीय संस्वीकृति संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है।

3.05. **सड़क निर्माण कार्य:** यह प्रावधान विभिन्न राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में सड़क संबंधी कार्यों की अनुमोदित स्कीमों के वित्त-पोषण हेतु है। इन निधियों को केंद्रीय सड़क निधि से राज्य/संघ-राज्य क्षेत्रों के लिए निर्मुक्त किया जाता है। तथापि, इन परियोजनाओं का प्रशासनिक रूप से अनुमोदन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तकनीकी अनुमोदन एवं वित्तीय संस्वीकृति संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है।

3.06. **सड़क निर्माण कार्य:** यह प्रावधान बेहतर सड़क अवसंरचना का संवर्धन करने के लिए अंतर-राज्यीय और आर्थिक महत्व की चयनित सड़कों के विकास के लिए है। केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार यह प्रावधान केंद्रीय सड़क निधि का एक भाग है। ये प्रस्ताव राज्य सरकारों से प्राप्त होते हैं और भारत सरकार द्वारा उनको तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

3.07. **सड़क निर्माण कार्य:** इसमें सड़क विकास पर अनुसंधान एवं विकास तथा आयोजना संबंधी अध्ययन तथा भारतीय सड़क कांग्रेस और अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित किए जाने वाले प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं व सेमिनारों पर होने वाला व्यय शामिल है।

3.08. **सड़क निर्माण कार्य:** यह प्रावधान मुख्यतः केंद्रीय सड़क निधि से वित्त-पोषित राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण पर व्यय करने के लिए है। इन कार्यों का निष्पादन राज्यों के लोक निर्माण विभागों, सीमा सड़क संगठन, एनएचएआइ, एनएचआइडीसीएल द्वारा एजेंसी-आधार पर किया जाता है। यह प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्ग न्यायाधिकरणों के अधिकारियों एवं स्टॉफ के वेतन और भत्तों पर व्यय के लिए तथा साथ ही, उनके कार्यालयों का संचालन करने संबंधी व्यय के लिए और राजमार्ग प्रशासनों की स्टॉफिंग के लिए राज्य सरकार को जन शक्ति की लागत तथा अन्य आनुपंगिक लागतों की प्रतिपूर्ति करने के लिए भी है। इसमें स्वच्छता कार्य योजना के अंतर्गत संचालित किए जाने वाले कार्यकलाप भी शामिल हैं।

3.10. **पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम:** यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में राजधानी सड़क-संपर्कता, जिला-संपर्कता, अंतरराष्ट्रीय सीमा तक सड़क-संपर्कता, सड़कों का सुधार एवं सुदृढीकरण सहित ट्रांस-अरुणाचल राजमार्ग तथा कलादान मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना एवं अन्य सड़क विकास परियोजनाओं सहित विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के लिए है।

4.01. **चुंगी पुलों का रख-रखाव:** यह निधि राज्य-विशेष निधि है। इसका उपयोग उन पुलों का रख-रखाव करने के लिए किया जाता है जिन पर संबंधित राज्यों द्वारा टोल एकत्रित किया जाता है।

7.01. **सार्वजनिक सड़क परिवहन पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजना:** यह प्रावधान सार्वजनिक सड़क परिवहन संबंधी महिला सुरक्षा के लिए है। इसका व्यय निर्भया निधि से पुरा किया जाता है।

6. **अनुसंधान, प्रशिक्षण और अध्ययन और अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएं:** यह प्रावधान मुख्यतः परिवहन उद्योग के संबंध में अनुसंधान व विकास, प्रशिक्षण एवं अध्ययन, प्रदूषण नियंत्रक उपकरणों, सड़क सुरक्षा के कार्यक्रमों, सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुविधाओं की स्थापना करना, जिसमें पीड़ितों के प्राथमिक उपचार का प्रावधान तथा यातायात की बहाली हेतु क्षतिग्रस्त वाहन को स्थल पर से हटाने का प्रावधान शामिल है, राष्ट्रीय आकड़ा-संचय नेटवर्क के विकास, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड की स्थापना, लोक परिवहन का सुदृढीकरण आदि के लिए है। यह केंद्रीय सड़क निधि से वित्त-पोषित हेतु किया गया है।